

विक्रय-प्रपत्र

दस्तावेज नं० 15053
2010

1. भंगमा रु० 3,00,000/- 2. मालिकता रु० 3,00,000/- 3. फिहम जमीन x 4. क्षेत्रफल / रकबा 0.250 है 5. वार्षिक किराया/लगान 50 घंतौनी 6. आच्छादित क्षेत्रफल x 7. विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति- <u>नहीं</u> है 12 कित्ता	8. देय स्टाम्प रु० 15,650/- 9. सरकारी रेट रु० 12,50,000/- प्रति है 10. रेट लिस्ट पेज नं० 35 क्रमांक 4-7 क्र०सं० 23 11. विक्रीत सम्पत्ति का स्थान <u>बगवाड़ा</u> परगना - <u>त्योहारा</u>
--	--

8. लक्ष्यके

राजपाल सिंह पुत्र श्री रघुपोर सिंह निवासी ग्राम बगवाड़ा परगना त्योहारा

तहसील धामपुर जिला- बिजनौर।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति का / के पूर्ण स्वामी एवं अधिकारी हैं।

जो कि प्रत्येक प्रकार के भार एवं बंधन से स्वच्छ एवं मुक्त हैं और जिनमें

मेरे / हमारे अतिरिक्त अन्य किसी की भागीदारी तथा किसी भी प्रकार का दखल नहीं है तथा जिसके विक्रय करने का मुझे पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

जो कि मैंने/हमने निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल रु० 3,00,000/-

शब्दों में तीन लाख रुपये जिसके आधे रु० 1,50,000/-

शब्दों में एक लाख पचास हजार रुपये में,

श्री/श्रीमती/

तक्ष्य कालेल आफ, रजवांत स्पुकेशन बगवाड़ा द्वारा तक्ष्य इन्कॉर्पोरेशन केमिस्टर तोसारा

टीवर्त कालौनी धामपुर बिजनौर, तक्षिय/ प्रबन्धक अनुराग कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह

निवासी बगवाड़ा परगना त्योहारा तहसील धामपुर हाल कि टोवर्त कालौनी धामपुर रू/ बिजनौर जिला बिजनौर एवं मालिकाना हक सहित बिना कोई विषय सुरक्षित रखते हुए विक्रय कर दिया है और विक्रीत सम्पत्ति का मूल्य 3,00,000/- मुद्रा रजिस्ट्री बैलासा

को रूप में प्राप्त कर लिया है। क्रेता / क्रेतागण का पूर्ण मालिकाना अधिकार एवं आधिपत्य विक्रीत सम्पत्ति पर करा दिया गया है और मुझे / हमें तथा हमारे उत्तराधिकारियों को विक्रीत सम्पत्ति में किसी प्रकार का भी कोई अधिकार शेष नहीं रहा है तथा इसका दायित्व खारिज क्रेता / क्रेतागण के नाम राजस्व न्यायालय से करा दिया जायेगा। यदि मेरे / हमारे अधिकारों के अभाव या दोष के कारण अथवा किसी भागीदार को उपलब्ध होने से कुल विक्रीत सम्पत्ति अथवा उसका अंश क्रेता के आधिपत्य एवं अधिकार से निकल जाये अथवा कोई भार निकले तो क्रेता / क्रेतागण को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य या उसका अंश जैसी भी दशा हो मुझसे / हमसे अथवा मेरे / हमारे उत्तराधिकारियों या मेरी / हमारी सम्पत्ति से ग्रह स्वयं एवं क्षति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। मैं या मेरे / हमारे उत्तराधिकारी उक्त विक्रीत सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा या दखलान्दाजी करने के अधिकारी नहीं होंगे।

अतः मैंने / हमने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि, बिना किसी दबाव में पड़, तुन व समझकर अपनी त्वेच्छा एवं खुशी से आज दिनांक 24-9-10 को साक्षीगण की उपस्थिति में यह विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया ताकि

प्रमाण रह और समय पर काम आवे।

स्टाम्प मूल्य रु० 15,650/- इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न है।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण- आ रावों काश्त स्टेट हाइवे पर स्थित है।

स्थान बगवाड़ा परगना त्योहारा तहसील धामपुर जिला बिजनौर

n A